कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–शिविरा–माध्य/संस्था/सी–4/रजीगृ/रसायन विज्ञान/स्थानान्तरण/2020 दिनांकः 04.01.2021 के तहत श्री मुकेश कुमार, व्याख्याता, रसायन विज्ञान का स्थानान्तरण राउमावि, गुढ़ा गौड़जी, झुंझुंनू से राउमावि, अनवलोज, जालौर किया गया। उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व श्री मुकेश कुमार द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 1537/2021 मुकेश कुमार बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 1537/2021 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांकः 29.01.2021 द्वारा याचिकार्थी की 50 प्रतिशत विकलांगता को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को विधि अनुसार निकटतम रिक्त स्थान पर पदस्थापित कर अभ्यावेदन को निस्तारित किए जाने के निर्देश प्रदान किए है।

माननीय न्यायालय के निर्णय के क्रम में श्री मुकेश कुमार द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के दिव्यांग कार्मिक होने एवं स्थानान्तरित विद्यालय 450 किमी दूर होने के आधार पर विभागीय दिशा निर्देशों/परिपत्रों/ नियमों के अन्तर्गत निस्तारित करने एवं अपना पदस्थापन राउमावि, कोलसिया, झुंझुंनू में व्याख्याता रसायन विज्ञान के पद पर लगाने की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। यह विधि सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी लोक सेवक द्वारा अपने इच्छित स्थान पर ही पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

सभी संबंधित पक्षकार सूचित होवे।

(सौरभ स्वामी)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/सी–4/रजीगृ/मुकेश शर्मा/1537/को.के/21   दिनांकः–22/02/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक,माननीय राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार),प्राथमिक,माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा विभाग जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा(विधि प्रकोष्ठ), जयपुर/जोधपुर।
5. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य)।
7. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
8. संबंधित संस्था प्रधान।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।
10. सिस्टम एनेलेसिस्ट कम्पयुटर अनुभाग।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर